

कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/6993/स्था०अनु०-१/स०वि०अ०,वर्ग-२ / विकास शाखा/ज्ये०सूची०/2022-23/दिनांक ०६/१२/२०२३

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।

निदेशालय के पत्रांक कृ०नि०/7714/दिनांक 18.01.2018 के द्वारा सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-२, विकास शाखा के कार्मिकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची, भाग-२ एवं पत्रांक कृ०नि०/3160/दिनांक 25.09.2020 के द्वारा सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-२ विकास शाखा के कार्मिकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग-२ का संशोधित अन्तिम भाग प्रसारित किया गया है।

सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-२, विकास शाखा के ऐसे कार्मिक, जिनके विरुद्ध प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने/बन्द लिफाफे खोले जाने के उपरान्त वर्ग-३ से वर्ग-२ में पदोन्नतियाँ हुयी हैं, उन कार्मिकों को अन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग-२ में पोषक संवर्ग वर्ग-३ की ज्येष्ठता सूची के आधार पर यथा स्थान प्रदान करते हुये अनन्तिम संशोधित द्वितीय भाग निर्गत किया जा रहा है। जिसमें सभी कार्मिक पोषक संवर्ग वर्ग-३ से वर्ग-२ विकास शाखा में पदोन्नति से है। ज्येष्ठता निर्धारण उत्तरांचल शासन कार्मिक अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या-195/कार्मिक-2002/देहरादून/दिनांक 13.08.2002 (संशोधनो सहित) ज्येष्ठता पैरा 06 के अनुसार निर्धारित की गयी है। इस अनन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग-२ को विभागीय बेबसाइट www.agriculture.uk.gov.in पर भी प्रकाशित कर दिया गया है।

अतः आप अपने अधीनस्थ वर्ग-२, विकास शाखा के सभी कार्मिकों को ज्येष्ठता सूची का अनिवार्यतः अवलोकन कराना सुनिश्चित करें, यदि किसी कार्मिक को कोई आपत्ति हो, तो वह अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन मय साक्ष्यों सहित 15 दिनों के भीतर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियत समयावधि उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची का अवलोकन कराने के उपरान्त यह प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध करायें, कि अधिष्ठान में कार्यरत वर्ग-२, विकास शाखा के सभी कार्मिकों को अन्तिम ज्येष्ठता सूची, भाग-२ के संशोधित द्वितीय अनन्तिम भाग का अवलोकन करा दिया गया है।
(सलंग- अन्तिम ज्येष्ठता सूची, भाग-२ का द्वितीय अनन्तिम संशोधित भाग)

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

पृष्ठांकन संख्या

/उक्त/ तद् दिनांक।

प्रतिलिपि:-

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- पटल सहायक वर्ग-२, स्थापना अनुभाग कृषि निदेशालय को इस निर्देश के साथ, कि उक्त निर्गत द्वितीय अनन्तिम संशोधित भाग को स.कृ.अ.वर्ग-२ की पूर्व निर्गत ज्येष्ठता सूचियों (पत्रांक कृ.नि./7714/दि.18.01.18 एवं पत्रांक कृ.नि./3160/दि. 25.09.20) के साथ अनिवार्यतः Attach (सलंग) करना सुनिश्चित करें।

2- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊ मण्डल हल्द्वानी।

3- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

(सलंग- अन्तिम ज्येष्ठता सूची, भाग-२ का द्वितीय अनन्तिम संशोधित भाग)

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

(1)

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2, विकास शाखा के कार्मिकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची, भाग-2 का द्वितीय अन्तिम संशोधित भाग

(निदेशालय के पत्रोंक कृ.नि./7714/दिनांक 18.01.2018 के द्वारा वर्ग-2, विकास शाखा की अन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग-2 एवं पत्रोंक 3160/दिनांक 25.09.2020 के द्वारा

निर्गत संशोधित अन्तिम भाग का द्वितीय अन्तिम संशोधन)

(पत्रोंक/कृ.नि./6193/दिनांक 02/03 द्वारा निर्गत)

क्र० सं	वर्ग-3 (पोषक संवर्ग का ज्योष्टा क्रमांक)	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	गृह जनपद	जाति	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	राजकीय सेवा/ वर्ग-3 में योगदान की तिथि	वर्ग-2 में नियमित पदोन्नति की तिथि	तर्मान कार्यरत जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
490A	502	श्री डोरी सिंह	श्री काशीराम	अलीगढ़	पिंजाति	01.10.62	हा.कृ.डि.	31.08.86	21.12.20	से.नि. अल्लोड़ा
513-1A	536	" ज्योति प्रकाश मिशा	" रमण सिंह मिशा	देवरिया	सामान्य	30.01.67	इ.कृ.डि.	08.08.86	18.11.21	पौड़ी
535-1BD	748	" भोलादत्त शर्मा	" कृपाल सिंह	नैनीताल	सामान्य	06.05.62	हा.कृ.डि.	26.11.87	21.12.20	से.नि. (अल्लोड़ा)


प्रशासनिक अधिकारी/
पटल सहायक


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
कृषि निदेशालय।


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय।


अपर कृषि निदेशक,
कृषि निदेशालय।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।